फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

हंसराम बनाम राज0 सरकार

मु0नं0- 37 / 2025

किस्म मुकदमा- प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए.

पीठासीन अधिकारी- डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2025	प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस बाबत पेश किया गया कि प्रार्थी का नाम हंसराम पुत्र श्योनारायण जाति मीना है लेकिन ग्राम ब्रहम्वाद तह0 सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 163, 221, 51, 74 में प्रार्थी का नाम हंसराज पुत्र श्योनारायण दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम हंसराम पुत्र श्योनारायण है। इसलिए प्रार्थी के सभी नाम की शुद्धि करते हुए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही किया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, पटवारी हल्का चांदेरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का के अवलोकन से प्रार्थी का सही नाम हंसराम होना बखूबी साबित है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम हंसराज दर्ज है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम ब्रहम्वाद तह0 सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 163, 221, 51, 74 में प्रार्थी का नाम हंसराज के स्थान पर हंसराम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	